412

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् समक्ष सदस्य राजस्व ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0

निग./प्रक/.क.– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0622 वर्ष–

नथुआ चमार तनय सरूआ चमार उम्र 60 वर्ष निवासी
भैरोगंज(लुगासी) तहसील नौगॉव जिला छतरपुर म.प्र.................................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म0प्र0..गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के तहत निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख छतरपुर के प्रक.क्र.10/अ–6 अ/2014–15 नथुआ चमार नि.भैरोगंज में पारित आदेश दि. 24.10.17 से दुःखी होकर, जिला कलेक्टर छतरपुर द्वारा पुर्नविलोकन अनुमति देने बावत्।

श्री सुनील सिंह भदौरिया द्वारा आज दि. 23-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-1-18 राजस्व मण्डल, म.प्र.

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निगरानी प्रस्तुत करता है–

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण**– आवेदक/निगरानीकर्ता नथुआ चमार निवासी ग्राम भैरोगंज लुगासी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर का मूल निवासी है। स्थित मौजा भैरोगंज में भूमि खसरा नंबर 4610, 5900, 5901, 5910, 5911 कुल किता 05 राजस्व रिकार्ड में सुधार कर अपने नाम कराने का आवेदन पत्र अधीक्षक भू–प्रबंधन अधिकारी छतरपुर के यहां प्रस्तुत किया था उपरोक्त सर्वे नंबर पर कई वर्षो से काबिज रह कर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण–पोषण करता चला आ रहा है तथा आज भी काबिज रह कर कृषि कार्य करता है।

23.1.18

2. आवेदक/निगरानी के भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे नंबर 3954, 5801, 4594 कुल किता 0.3 है0 जिस पर काबिज नही है उक्त ग्राम में बंदोवस्त कार्यवाही चल रही थी उसी दौरान खसरा नंबर में त्रुटि हुई। आवेदक ने उपरोक्त भूमि खसरा नंबर की रिकार्ड सुधार करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण क्र. 10/अ–6–अ/14–15 पंजीबंद्ध कर भू–प्रबंधन अधिकारी छतरपुर द्वारा विधिवत् इस्तहार व नोटिस जारी कर तामील बाद कार्यवाही की गई।
3. ग्राम लुगासी मूल राजस्व ग्राम से भैरोगंज को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु शासन की अधिसूचना के पालन में सर्वेक्षणकर्ता राजस्व निरीक्षक ग्राम लुगासी एवं भैरोगंज का पृथक–पृथक अभिलेख तैयार करने हेतु सर्वेक्षण किया गया, जिससे राजस्व निरीक्षक सर्वेक्षणकर्ता से वस्तु स्थिति प्रतिवेदन मौका कब्जा एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/622 नथुआ विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य